पन-बिजली घर भ्रौर सतपुड़ा ताप बिजली घर पूर्गारूप से चालूहो जाएंगे।

विदेशी ऋरा

7128. श्री झोंकार लाल बोहरा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) इस समय भारत ने देशवार विदेशी ऋगों की कितनी कितनी राशि का भुगतान करना है और उस पर प्रत्येक देश को व्याज के रूप में कितनी राशि दी जा रही है;
- (ख) स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले और स्वतंत्र होने के तुरन्त बाद भारत द्वारा देशवार विदेशी ऋगों की कितनी राशि का भुगतान किया जाना था तथा विभिन्न देशों द्वारा देशवार भारत को कितनी राशि दी जानी थी; और
- (ग) भारत द्वारा ग्रन्य देशों को देशवार कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं भ्रौर उसमें से ग्रब तक कितनी राशि वापस ग्रा गई है?

उप-प्रधान मंत्री तथा बित्त मंत्री (श्री मोरारजी बेसाई): (क) एक विवरए। (संख्या 1) सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न देशों को चुकाये जाने वाले विदेशी ऋगों की देशवार रकम फरवरी, 1968 के अन्त में कितनी थी। दिया जाने वाला व्याज प्रत्येक ऋगां के लिए अलग अलग होता है और वह सम्बद्ध ऋगों में से समय-समय पर बकाया पड़ी हुई रकमों पर भीर लागू होने वाली व्याज की दरों पर निर्भर होता है। 1968-69 में व्याज की जितनी रकम सरकार द्वारा भदा की जाने की संभावना है, वह विवरण में बतायी गयी है। [विवरण पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या नम्बर LT 864/68]

(स्र) स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले, (अर्थात् 31 मार्च, 1947 से पहले) भारत सरकार द्वारा दिये ऋगों की रकम 55.48 करोड़ रुपया थी और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद (अर्थात 31 मार्च, 1948 के बाद) देय ऋगों की रकम

45.47 करोड़ रुफ्या थी। ये रकमें ब्रिटेन में लिये गये स्टिलिंग ऋगों की बकाया रकमों की द्योतक हैं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले, भारत ने, 5 करोड़ रुपये का केवल एक ऋगा थाईलैंड को दिया था। यह ऋगा, 1948-49 में पूर्णत्त्या वापस किया जा चुका है।

(ग) भारत सरकार द्वारा ग्रन्थ देशों को दिये गये ऋणों की देशवार रकमों ग्रीर उन देशों से वसूल की गयी रकमों का विवरण (संख्या 2) सभा की मेज पर रख दिया गया है। [विवरण पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या नम्बर LT 864/68]

Forgery Committed by Vetji Kashuchand

7129. SHRI MADHU LIMAYE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that on the strength of a letter by a licencee from Surat (holder of licence No. 2543469) that his licence sent to the office of the JCCI&E, Bombay for enhancing its value after devaluation in 1966, that Collector Customs withheld the goods imported by Vetji Kashuchand;
- (b) whether it is also a fact that signature of the Licencee Motiram Khushaldas were forged and a letter of credit opened with the Marduni (Bombay) Branch of Central Bank unauthorisedly by obtaining on false representation and in collusion with the Canara Banking Corporation Fort (Bombay) branch specimen signature card by this Vetji Kashuchand;
- (c) whether the Collector, Customs Bombay have passed an order confiscating these goods on 7th January, 1967; and
- (d) whether any prosecution was launched by the Government against this party (Vetji Kashuchand) and the JCCI&E officers/Canara Banking Corporation Fort Bombay, officers for this forgery and other offences; and if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) M/s. Motiram Khushaldas Bandaria of Surat, holders of import licence No. 2543469 dated. 11.5.1966, informed the Collector of Cus-